

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 209 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, जुलाई 28 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- प्रस्ताव संख्या-एफ०पी/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एच०एच०-79 के किमी० 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध

संदर्भ- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया का पत्रांक- 120/2-6, दि० 10.07.2023 एवं आपका पत्रांक 4025/11सी-एफपी/यूपी/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 23.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 120/2-6, दि० 10.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत प्रस्ताव में विन्दू सं 1, 2 व 3 का निराकरण करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव को मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

209
संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

o/c

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 120 / 2-6 देवरिया, दिनांक, जुलाई 10 / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-4025/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 23.06.2023 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-3087/2-6 दिनांक 28.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्न प्रकार है:-

1-भारत सरकार के आपत्ति संख्या-01 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के क्रमांक 11 में उल्लंघन का विवरण अपलोड कर दिया गया है।


2-भारत सरकार की आपत्ति संख्या-02 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये प्राक्कलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 0.16 अंकित कर दिया गया है तथा सी०ए० का क्षेत्रफल प्राक्कलन में संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

3-प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राईब में संशोधित क्षतिपूरक स्थल की के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दिया गया है तथा पी०डी०एफ० फाईल पेनड्राईब में अपलोड कर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण का संलग्नक चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

467
2-6
28-07-2023

निर्देश
आ. आ. को. 1
मु. व. ए.
25/7/2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक
 गोरखपुर मण्डल
 गोरखपुर।

विषय -

प्रस्ताव-देवदाया व अतीत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवदाया अंचल, 3030 (एन०एन०-79) के किमी० नं०-14 से 1530 तक हाथी पर्वत पर माता 10-308, 1011-जोखवाली पी०-कचनपुर लड़कोल व बिन्ना-देवरिया में प्रस्तावित रिहायश गन्म स्थल से मुख्य वन एवं उल्लंघन से प्रभावित 0.0150018 हे० मरुदित जमिनी के नए श्रेणीकरण एवं कपक 25 जूरी एवं उ० वन के अनुमति के संबंध में।

संदर्भ -

भारत सरकार का पत्रांक-8वीं-सु०पी०, 08/12/2021/पत्रांक-893, दिनांक 09.02.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-2959/2-6 दिनांक 14.06.2023।

संदर्भ

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उत्तर संबंधित अभिलेख जमाने जमाने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.06.2023 से द्वारा इन कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न क्रमियों/अभिलेखों का अभाव बाधा गया -

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-01 के निराकरण के क्रम में प्रयास्ता एजेंसी द्वारा किये गये उत्संघन के कलस्त्रकृत कार्यवाही की सत्यापित प्रति, एन-2 फॉर्म प्रस्तुत प्रमाण पत्र तथा दण्डात्मक एन०पी०पी० की भणना संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-11 में उत्संघन का विवरण भी अपलोड नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-02 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये प्राकलन में CA का संश्रफल 0.25 हे० अंकित है, जोकि नुटिपूर्ण है। अतः कें०एम०एल० के अनुसार CA का संश्रफल 0.16 हे० अंकित कर तत्संबंधित प्राकलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न पैनड्राइव में संशोधित CA स्थल की कें०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अतः अपलोड कर पूर्ण निराकरण की एक पी०डी०एफ० फाइल पैनड्राइव में अपलोड करें।

अतः उपरोक्त इंगित क्रमियों का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का तत्संबंधित पूर्ण बिन्दुवार निराकरण संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

निदेश
 ए. वा. ज. सी.
 26/6/2023

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
 3030, लखनऊ।

पत्रांक- 4025/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
2. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
 3030, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर
 पत्रांक 306) 1.2-6 दि० 20.06.23 दिनांक 23 जून 2023
 प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक ए. वा. ज. सी. वृत्तान्त देवरिया की इस
 निदेश के बावजूद प्रेषित कि उपरोक्त पत्र में बिन्दु सं० 1 से 3 तक
 निराकरण कर पुनः प्रेषित प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित कर
 लें कि प्रस्ताव की पुनः उच्चतर को भेजा जाय।
 मुख्य वन संरक्षक
 गोरखपुर मण्डल गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 120 / 2-6 देवरिया, दिनांक, जुलाई 10 / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-4025/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 23.06.2023 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-3087/2-6 दिनांक 28.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्न प्रकार है:-

1-भारत सरकार के आपत्ति संख्या-01 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के क्रमांक 11 में उल्लंघन का विवरण अपलोड कर दिया गया है।


2-भारत सरकार की आपत्ति संख्या-02 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये प्राक्कलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 0.16 अंकित कर दिया गया है तथा सी०ए० का क्षेत्रफल प्राक्कलन में संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

3-प्रस्ताव में संलग्न पैनड्राईब में संशोधित क्षतिपूरक स्थल की के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दिया गया है तथा पी०डी०एफ० फाईल पेनड्राईब में अपलोड कर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण का संलग्नक चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध ~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन~~
~~अधिनियम 1927 का धारा 33 का उल्लंघन~~

रिपोर्ट नं० दिनांक 14/12/2022 रोज देवरिया वीट तरकुलवा

रेज केंस नम्बर 36/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता च-दशान निवारी S/O स्व- कापिल देव निवारी
 ग्राम को-हवालिया पौ० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिले देवरिया
2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता ① स्वयं हरिकेश गौड़ व०र०
 ② वैदिक शक्ति सुशीला गौड़
3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया कसगा मार्ग K.M. 13-14 के मध्य शशी
 पट्टरी के मध्य ग्राम को-हवालिया पौ० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिले
 देवरिया में सड़क पट्टरी की भूमि $35 \times 22.86 = 800.1$ वर्ग मीटर
 संरक्षित भूमि को बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना
4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण X
5. कुल हानि का मूल्यांकन राष्‍ट्रकिय सम्पत्ति L.A.P.S. N 26° 35' 30.007
 E 083° 51' 27.451
6. वरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

7. चालान तथा जांच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ महोदय आज दिनांक 14/12/2022 को मध्य
 लगभग 4:30 P.M. पर घाट शिकार के अनुसार देवरिया कसगा मार्ग
 K.M. 13-14 के मध्य शशी पट्टरी पर ग्राम को-हवालिया थाना तरकुलवा
 जिले देवरिया सुशीला वैदिक शक्ति पर पहुँचा तो पाया कि संरक्षित वन भूमि
 की जमीन $35 \times 22.86 = 800.1$ वर्ग मी० भूमि को बिना अनुमति का गैर
 वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया सुदूरी पर पूरा चला कि सुशीला
 वैदिक शक्ति के मालिक च-दशान निवारी S/O स्व- कापिल देव निवारी द्वारा वन संरक्षण
 अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

अतः रिपोर्ट सुनाया गया असशर्क
 कार्यवाही हेतु प्रेषित
 हरिकेश गौड़
 केंस काटने वाले का हस्ताक्षर
 पद व०र०

वमात

इस से प-डमात निवारण. स्वर्णपत्र कापिल देव निवारण ग्राम -
 को-इवसिपु पाठ वंचनगु धाम तल्लुवुव सिं देवरिया का लमाई व मूल
 निवारण है जो द्वारा देवरिया का लमाई मार्ग सिं 14-15 के मध्य
 दक्षिण पट्टी पर शुद्धीकरण पेडोलिपु को-इवसिपु के लमाई का सिपु
 गपु है जिसके लम्बाई पट्टी का चौड़ाई $35 \times 22.86 = 800.1$ वर्ग मीटर
 तोड़ित वन भूमि का सिपु अनुमान है जो वाणिज्य प्रयोग सिपु
 गपु जो सिं द्वारा ^{मो} ~~सिपु~~ अधिकार 19 ~~88~~ वर्ष उल्लेख
 सिपु गपु है जो अपु भूमि लमाई लमाई है तथा वन विभाग का
 पत्रिका मानने की लमाई है यह लमाई अपने पूरे देश इवाक सिं
 राजा म-की के राज्य लिखवा पट्टी का शोभ लमाई का इलाक
 वना सिपु जो लमाई लमाई पर लमाई लमाई

वमात मोट का (सिपु गपु)

नमः ~~सिपु~~
 १० ६०
 10/10/20

श्री
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 देवरिया रेंज

वमात मोट का इलाका

Shantakhan Gawan

ल-चन्द्रमान सिवाई S/O
 1000 कापिल देव सिवाई
 210. कोनूबसिया
 100. वंचनगु (या ल-उल्लेख)
 100. देवरिया

R. J. J. J.
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 देवरिया

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 को इजरा किया गया है। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू० 40,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12943 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।

R. J. Jha

(जगदीश झा) (र)

प्रभाषीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया
देवरिया

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रस्तावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग :-

दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना

$$\begin{aligned} \text{उल्लघन की तिथि} &= 14.05.2022 \\ \text{उल्लघन की क्षेत्रफल} &= 0.075028 \text{ हे०} \\ \text{इको क्लास एवं हरियाली घनत्व} &= \text{ECO -3, घनत्व- } 0.4 \\ \text{एन०पी०वी० की दर} &= 1228590.00 \text{ रू०/ हे०} \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०वी०} &= 0.075028 \times 1228590.00 \\ &= 92179.00 \\ \text{ब्याज} &= \frac{92179.00 \times 12 \times 1}{100} = 11061.00 \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०पी० + ब्याज} &= 92179.00 + 11061.00 \\ &= 103240.00 \\ \text{देय दण्डात्मक एन०पी०पी०} &= \frac{103240 \times 20}{100} = 20648.00 \end{aligned}$$

P. J. J. J.
(जि) जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
देवरिया

क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन वर्ष 2022-23 से वर्ष-2032-33 तक
कार्य का नाम-कोन्हवलियों ग्राम समाज के भूमि क्षेत्रफल 0.16 हे० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (150 पौधों
का रोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य) का प्राक्कलन ।

जी०पी०एस० लोकेशन N-26°35.89"

N-26° 35'35.91"

रेज का नाम-देवरिया

E-083°51'28.98"

E-83° 51'28.95"

150 पौध रोपण व अनुरक्षण
क्षेत्रफल 0.16 हे०

श्रमिक दर रू० 213.00 प्रति मानव दिवस

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

क	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
0	1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.16	प्र०हे०	54.51	13.6
2	स्थल की सफाई	0.16	प्र०हे०	436.2	109.05
3	मृदा कार्य हेतु संरक्षण कार्य	150	ग०/मा०	0.41	61.50
4	अग्रिम मृदा कार्य	0			0
5	(क) गड़ढा खुदान कार्य (60x60x60)	150	ग०	19.71	2956.50
6	आर०सी०सी० खम्भों का निर्माण	60	संख्या	404.00	24240.00
7	कटीला तार का मूल्य (5 लड़)	0.12	टन	84892.50	10187.10
8	अन्य व्यय प्रशासनिक व्यय	1	ल०स०	500.00	500.00
	योग	-		-	38067.78

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)

1	गड़ढा भरान कार्य	150	ग०	1.27	190.50
2	गड़ढा/माउण्ड में कीटनाशक दवा प्रयोग	150	ग०/ मा०	0.81	121.50
3	गड़ढों में मृदा सुधारक/गोबर खाद का प्रयोग	150	प्रति ग०	9.62	1443.00
4	पौध मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	155	प्र०पौध	70.00	10850.00
5	पौध का बुलान 3 प्रतिशत अतिरिक्त (कि०मी० 10-20) मय लोडिंग अनलोडिंग सहित	155	प्र० पौध	1.50	232.50
6	पौध के स्थानीय बुलान	150	प्रति पौध	0.41	61.50
7	पौध रोपण मय थैला बनवाई व तुरन्त सिंचाई कार्य	150	प्रति पौध	5.10	765.00
8	पौध के निराई, गुड़ाई चार बार	600	प्रति पौध	1.35	810.00
9	सिंचाई 9 बार	1350	प्रति पौध	1.36	1836.00
10	रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग	150	प्रति पौध	0.37	55.50
11	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाई	L.S.	L.S.	5250.00	5250.00
12	आर०सी०सी० खम्भों की ग्राउटिंग	60	खम्भा	196.00	11760.00
13	खम्भों का स्थानीय बुलान	60	खम्भा	3.28	196.80
14	तार की खिंचाई कार्य	2000	मीटर	0.90	1800.00
15	वृक्षारोपण का सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
16	अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	L.S.	L.S.	L.S.	500.00
	योग :-				36937.30

अष्टम चरण (छठम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

नवम् चरण (सप्तम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

दसवौं चरण (अष्टम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

ग्यारहवौं चरण (नवम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

बारहवौं चरण (दसम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50
कुल योग :-					108815.28
या :-					108815.00

R. J. J. J. J.
 (जयदीन आर)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रशिक्षण
 देवरिया